:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार

मूकदमा नम्बर 74 / 19 राजस्व वाद

1 खतीजा पत्नी युसुफ पिता आदम घाची जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

2 जेतुन पिता आदम घाची जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1 जेनाब पत्नी मजीद पिता साजी घाची निवासी पीठ

2 श्रीमती कोकीला पत्नी गजेन्द्रसिह चौहान निवासी पीठ

3 श्री जगदीश चन्द्र पिता मोतीसिंह जाति लबाना निवासी नवलपुरा पीठ

4 श्री पोपटलाल पिता प्रभुलाल जाति लबाना निवासी बांकडा

5 श्री श्रवण कुमार पिता प्रभुलाल जाति लबाना निवासी बांकडा

6 श्री भारतसिंह पिता प्रभुलाल जाति लबाना निवासी बाकडा नवलपुरा

7 श्री भेरूसिंह पिता प्रभुलाल जाति लबाना निवासी बांकडा नवलपुरा

8 श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री कर्तव्य शाह एडवोकेट वादी
2. श्री कालुराम डामोर एवं वीरेन्द्रसिंह चौहान एडवोकेट प्रतिवादीगण

:: आदेश प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया सहिता ::

आदेश दिनांक 06 / 04 / 2021

(1) प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निम्न दादरसी की याचना की है कि प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वादीयागण को मौजा पीठ में खाता सख्या 328 के खसरा सख्या 1689, 1764, 1767, 1831, खेत किता 4 का कुल रकबा 8.17 बीघा मौजा नवलपुरा खाता सख्या 32 के खसरा सख्या 930 का रकबा 2.11 बीघा, खाता सख्या 27 के खसरा सख्या 932, 933, का रकबा 3.00 बीघा होकर स्थित है जिसमें वादीयागण को

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

विधिक रूप से उपयोगी नहीं है ऐसे में प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नहीं होने से खारीज किया जावे,। इसके साथ वासीयतनामा भी अनुपयोगी है ऐसे में प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा बेचान की गई समस्त भूमि का नामान्तरण भी निरस्त किया जावे। बहस में प्रतिवादी ने बताया मुस्लिम विधि के अनुसार कोई भूमि पैतृक ही नही होती है, तथा मौखिक रूप से भी भूमि दान/हस्तान्तरित की जा सकती है।

प्रार्थनापत्र मय जवाब का अवलोकन किया गया। नामान्तरण सख्या 1318 के अवलोकन से एवं उभय पक्ष की बहस से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सख्या 1 को वाद ग्रस्त आराजी रजिस्टर्ड वसीयत से प्राप्त हुई है, तथा वादी द्वारा अपने वाद में वसीयत को शुन्य/निष्प्रभावी घोषित करने का निवेदन भी किया गया है जबकि किसी भी दस्तावेज को शुन्य/निष्प्रभावी, नल एण्ड वोईड घोषित करने का क्षैत्राधीकार इस न्यायालय का नहीं है जब तक उक्त दस्तावेज वसीयतनामा को नल एण्ड वोईड सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया जाता है अन्य कोई रिलिफ नहीं दी जा सकती है, वादग्रस्त आराजी मुस्लीम प्रसनल लॉ द्वारा अधीशासीत है, वादी द्वारा प्रार्थनापत्र कें जवाब में कथन किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी चल–अचल सम्पत्ति को वसीयत करने का नियम ही नहीं है, जबकि वादी द्वारा ऐसे किसी कानुन/ लॉ/ नियम/ अधीनियम/ नोटीफिकेशन/ सर्कुलर/ नजीर पेश नहीं की है।

अतः वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सि.प्र.स. के तहत पेश प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा
6/4/21

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा